न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मंयक मनीष आई.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 187 / 2017

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. सावंत सिंह पुत्र भैरू सिह जी, जाति राजपूत, उम्र 65 वर्ष, निवासी बावरला तहसील व जिला जोधपुर।		1. पूनाराम पुत्र श्री भला राम, जाति विश्नोई निवासी बावरला तहसील व जिला जोधपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 188,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा में
प्रार्थना पत्र वाद को जरिए उप– शमन के खारिज किये जाने हेतु।

–: निर्णय :– दिनांक 15.1.20

उपस्थिति :–वादी अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह मनोहरसिंह राठौड़
प्रतिवादी अधिवक्ता लादूराम पुनिया

वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :– वादी का खसरा नं. 699 व प्रतिवादी के खसरा नं. 700 है उक्त मुतनाजा आराजी के वादी व प्रतिवादी रेवेन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में खातेदार है। वादी व प्रतिवादी उक्त मुतनाजी आराजी के बीच में माठ बनी हुई है तथा उक्त मुतनाजा आराजी मौजा बावरला में आई हुई है। वादी अपने खातेदारी जमीन की जमाबन्दी सम्वत् 2049 से 2052 इस दावे के साथ पेश कर रहा है। वादी के खेत ख. नं. 699 रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा है उक्त मुतनाजा आराजी पर वादी का वक्त सेटलमेन्ट से आज दिनांक लगातार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी व वादी के बीच जो माठ बनी हुई है उसको प्रतिवादी तोड़कर वादी की जमीन पर नाजायज कब्जा करने व दखलान्दाजी करने के लिए उतारू है। वादी खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रतिवादी के द्वारा दखलान्दाजी करने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लाने का कानूनन हकदार है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रतिवादी की ओर से निवेदन किया कि वादी का देहान्त माह सितम्बर 2008 में हो गया है। वादी की ओर से कोई कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गयी है । आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी के अनुसार 90 दिन में कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की जाती है तो वाद स्वतः ही अबेट हो जाता है। आदेश 22 नियम 9 के तहत उपशमन को अपास्त कराने के लिए 60 दिन का समय रहता है। इस समयावधि में भी वादी की ओर से अबेटमेंट निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 23.7.2019 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल वादी अधिवक्ता ने दिनांक 23.7.2019 को प्राप्त कर ली है और वादी अधिवक्ता ने इस प्रार्थना पत्र का कोई जवाब भी पेश नहीं किया है।

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.7.2019 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद उपरोक्त विवेचना में खारिज किया जाता है।

(संयक मनीष) आई.ए.एस.
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

आदेश आज दिनांक 15.1.20 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(संयक मनीष) आई.ए.एस.
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर व इजलास मंयक मनीष, (आई.ए.एस.)

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. सावंत सिंह पुत्र भैरू सिह जी, जाति राजपूत, उम्र 65 वर्ष, निवासी बावरला तहसील व जिला जोधपुर।		1. पूनाराम पुत्र श्री भला राम, जाति विश्नोई निवासी बावरला तहसील व जिला जोधपुर।

वाद बाबत् स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मुकदमा नम्बर 187/2017 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादीगण के अधिवक्ता आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी के अनुसार 90 दिन में कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की जाती है तो वाद स्वतः ही अबेट हो जाता है। आदेश 22 नियम 9 के तहत उपशमन को अपास्त कराने के लिए 60 दिन का समय रहता है। इस समयावधि में भी वादी की ओर से अबेटमेंट निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 23.7.2019 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल वादी अधिवक्ता ने दिनांक 23.7.2019 को प्राप्त कर ली है और वादी अधिवक्ता ने इस प्रार्थना पत्र का कोई जवाब भी पेश नहीं किया है।

प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.7.2019 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद उपरोक्त विवेचना में खारिज किया जाता है।

लीज ......×...... मुबलिक ....×...... बाबत ....×.......खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह .... ×....... की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......×.. को अदा करें।

अन्तिम डिक्री मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 1.5.1.1.20 की जारी की गई।

(मंयक मनीष)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प जारी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा अहवान् बाबत् दजराय हुक्मनामा मतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकिल फीस कमिश्नर बाबत् दजराय हुक्मनामा मतफरिक		

(मंयक मनीष)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2020.01.31 15:55:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: